



**Electrical Inspectorate
Department**

19 Reforms undertaken by Electrical Inspectorate Department

19.1 Mandate for only-online submission for application for Certification of Electrical Installation issued by Chief Electrical Inspector

The Electrical Inspectorate Department, Government of Uttarakhand has mandated that the applications provided by the Department be availed only through the online mechanism. The Department has also mandated that these services be provided through the online portal without any hard copy processes and physical touchpoints.

The online portal, <http://www.eiuttarakhand.in> allows the submission, fee payments and approvals to be done in a completely online manner.

दूरभाष (05946) 262839
261913
फैक्स नं० (05946) 261913

कार्यालय
निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तराखण्ड शासन
पंचायत घर, बडी मुखानी, निकट हीरा कान्वेन्ट स्कूल,
हल्द्वानी (नैनीताल)

संख्या 3859 मु०वि०नि०/मु०/ए/24/2017-18 दिनांक 30-10-17

समस्त उप विद्युत निरीक्षक/सहायक विद्युत निरीक्षक
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :- विद्युत सुरक्षा विभाग की विभागीय सेवाओं से सम्बन्धित वेब एप्लीकेशन हेतु ऑनलाईन वेब-पोर्टल के संबंध में।

उपरोक्त विषयक समस्त उपभोक्ताओं/निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के क्रम में विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं (निम्न उल्लेखित) के लिए ऑनलाईन स्वीकृत प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा चुकी है जो अभिगम्यता, पारदर्शिता और उपयोग में आसानी सुनिश्चित करता है।

1. Approval for map under sec. 53(f) of The Electricity Act, 2003
2. Application for testing of temporary connection
3. Application for re-testing of temporary connection
4. Application for approval of CEI prior to energization of electrical installation with voltage greater than 650 volts
5. Application for testing and installation of consumer / owner LT installation

विभाग द्वारा प्रदान की जानी वाली उपरोक्त सेवाओं के सभी आवेदन दिनांक 30-10-2017 से विभागीय ऑनलाईन पोर्टल www.eiuttarakhand.in के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। उपभोक्ता/आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति को Unique Reference Number से ट्रैक करने में सहाय होंगे, और स्वीकृति पत्र भी ऑनलाईन के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।


(गिरीश चन्द्र)
निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तराखण्ड शासन, हल्द्वानी

संख्या मु०वि०नि०/मु०/ए/24/2017-18/तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(गिरीश चन्द्र)
निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तराखण्ड शासन, हल्द्वानी
क्रमशः..... 2/-